International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर्यावरण संरक्षण में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका

डॉ. जगजीत सिंह कविया
व्याख्याता समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय राजगढ (अलवर)

आज पर्यावरण देश एवं विश्व स्तर पर सबसे ज्वलंत एवं चर्चित विषय के रुप में माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न मंचों पर हर तरह की बहस, विचार विमर्श एवं मंथन चल रहा है क्योंकि पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य के अस्तित्व से जुडा है। प्रकृति एवं मनुष्य का रिश्ता आदिकाल से है। मनुष्य की जीवन यात्रा का प्रारमी बिंदू प्रकृति रुपी मॉ की गोद थी। लेकिन आज मनुष्य के बढते लोभ एवं लालच ने प्रकृति एवं मनुष्य के पवित्र रिश्ते को संकट में डाल दिया है। आज जिसे पर्यावरण संकट कहा जाता है वह दरअसल प्रकृति और मनुष्य के टूटते और बिगडते रिशतों का ही दूसरा नाम है।

आदिकाल से मानव और प्रकृति का अटूट सम्बंध रहा है। सभ्यता के विकास में प्रकृति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विकास के प्रारम्भिक चरण में कोई भी जीवधारी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, इसके पश्चात वह धीरे–धीरे प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है।

वर्तमान में मनुष्य ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतना अधिक विकास किया है कि उसका जीवन आरामदायक हो गया है परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य ने अपनी उच्च उपभोक्तावादी संस्कृति के लिए जिस क्रूरता से जंगलों को काटा है दिन प्रतिदिन नई–नई इमारत है सर के कारखाने आदि बना रहा है उससे प्रकृति में असंतुलन होने का खतरा बढ़ता जा रहा है वर्तमान में मनुष्य की प्रकृति का स्वामी बनने की इसी लालसा ने जीव–जंतुओं पेड़–पौधों व जलवायु सहित प्रकृति के सभी तत्वों को प्रभावित किया है।

हमारी उपभोक्तावादी संस्कृतिदी तेजी से बढ़ती जनसंख्या नगरीकरण वह औद्योगिकीकरण के कारण प्रकृति के अस्तित्व है संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है उभरते पर्यावरणीय संकट ने जलवायु परिवर्तन जय विविधता कृषि उत्पादन एवं मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

पारिस्थितिकी है असंतुलन को दूर करने में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को ने केवल संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया वरण उन्हें अनेक अधिकार भी दिए गए संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्य 100 पर गए हैं उनमें निम्नलिखित कार्यों का पर्यावरण संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध है –

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

– कृषि एवं कृषि प्रसार
– भूमि सुधार चकबंदी तथा मृदा संरक्षण
– अल्प सिंचाई जल प्रबंधन एवं वाटर शेड प्रबंधन
– पशुपालन डेयरी एवं कुक्कुट पालन मत्स्य पालन
– सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी
– पेयजल
– ईंधन एवं चारा

जल संरक्षण : –

आज समस्त विश्व जल की कमी से जूझ रहा है जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि बढ़ने औद्योगिकरण से जल खपत में वृद्धि हुई है दूसरी और वर्षा जल की कमी भूमिगत वह जन सहभागिता से जल संरक्षण का ही परिणाम था की राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे कम बरसात के बावजूद भी करीब 500 साल से समस्त गतिविधि संचालित है यहां जल संरक्षण के लिए तालाब बावड़ी झालरा नाड़ी नाडा झीलें टाका सर आदि का निर्माण करवाने की परंपरा रही है जन संगठन के लिए हमें इन्हीं परंपराओं को पुनः जीवित करना होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री राजेंद्र सिंह ने अलवर जिले में जल संरक्षण हेतु स्थानीय जन सहयोग में आंदोलन चलाया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यदि देश की औषध वर्षा के जल का आधा भी प्रत्येक गांव की 1 पॉइंट 12 हेक्टेयर भूमि में एकत्रित कर लिया जाए तो देश के किसी भी गांव में पानी के संकट नहीं रह जाएगा आज इजरायल ऐसा देश है जहां जल की नितांत कमी है पर कम पानी से खेती करने की तकनीकी का यहां विकास हुआ है इतना ही नहीं जल का पुनर्चक्रण कर फिर से इसे उपयोग में लाने की पद्धति का भी विकास अनुकरणीय उदाहरण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जल संरक्षण पर अत्यधिक जोड़ दिया गया है वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकने परंपरागत जल स्रोतों का पुनः नवीकरण हेतु जलाशयों की सफाई बांधो तालाबों नहरों का निर्माण कर जल संचय करवाकर न केवल ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार मिल रहा है बल्कि जल संरक्षण के द्वारा ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है जिससे उनके स्वास्थ्य की दशा में भी कुछ सुधार आएगा वह उत्पादकता में भी वृद्धि होगी जल संभरण एवं संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत तेजल के समूह स्रोतों तालाबों झीलों नदियों के जल के उपयोग को नियंत्रित कर सकती है तथा उन्हें प्रदूषण से बचा सकती है।

जल संरक्षण के संदर्भ में दिल्ली झुंझुनू मार्ग पर स्थित बख्तावरपुर ग्राम सभा का निर्णय अनुकरणीय है राजस्थान के हर गांव की तरह यहां भी जल संकट बहुत गहरा था इस समस्या से

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निपटने के लिए ग्राम सभा ने सरपंच के नेतृत्व में पानी को रिचार्ज करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक घर के सामने एक गहरी हुई का निर्माण किया जाएगा एवं हर ग्राम सभा में इसके महत्व को ग्राम वासियों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और इसी का नतीजा है कि आज गांव में पीने के पानी की समस्या समाप्त हो गई है।

जल संरक्षण हेतु गांव में स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीणों को अपने खेत का पानी खेत में रहने के उद्देश्य से एनीकट बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए इस हेतु महानगरों द्वारा भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है

वन संरक्षण व सामाजिक वानिकी :–

आज पर्यावरण के संदर्भ में वन संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है वन पर्यावरण के तत्व मृदा जलवायु तथा जलाशयों को प्रभावित करते हैं वायु को शुद्ध रखने वर्षा मरुस्थलीकरण रोकने तथा बाढ़ नियंत्रण में वन अत्यंत सहायक है इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को अपनाया गया।

इस हेतु ग्राम वासियों को ग्राम की व्यर्थ भूमि पर वृक्षारोपण करने विनाशक वनों में पुणे वृक्षारोपण सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस दिशा में महा नरेगा के तहत वृक्षारोपण व सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम चला रहे हैं वृक्षारोपण के द्वारा जहां इंधन चाहे वह इमारती लकड़ी की पूर्ति से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं वही यह प्रयास भूमि के कटाव तापमान को स्थिर रखने आद्रता को बनाए रखने तथा प्रदूषण को कम करने में कारगर सिद्ध होगा।

सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने हेतु सरकारी स्तर पर पंचायत से अधिक उपयुक्त कोई और दूसरा अभिकरण नहीं हो सकता कारण यह है कि पंचायत स्थानीय समस्याओं में आवश्यकताओं से पूर्व परिचित है अतः पंचायत स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से चरणबद्ध तरीके से पर्यावरण के अनुकूल वानिकी को विकसित कर सकती है।

भूमि विकास एवं भू संरक्षण :–

भूमि विकास बैंक बॉस आरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि की उर्वरता बनी रहे तथा पोषण तत्व भूमि में उपस्थित रहे इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है दोषपूर्ण कृषि पद्धति तथा कृषि कार्य हेतु तेजी से बढ़ते रासायनिक उर्वरकों कीटनाशक दवाओं से प्रयोग से भूमि की उर्वरा क्षमता कम होती जा रही है वही मानव स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है यदि किसान रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं को स्थान पर केंचुए की खाद वह गोबर की खाद पेड़ों की सूखी पत्तियां व पशुओं

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

की अपशिष्ट को चढ़ाकर खाद तैयार कर उपयोग में ले तो इससे भूमि की उर्वरा क्षमता तो विकसित होगी साथ ही कृषि उत्पादन में भी प्रतिवर्ष वृद्धि होगी।

इस हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थाओं को अपनी बैठकों में किसानों को जैविक खाद के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए एवं इस हेतु किसानों के न्यूनतम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना रचनात्मक पहल होगी।

पर्यावरण शिक्षा व जन जागरूकता :–

पर्यावरण संरक्षण हेतु संग्रह चिंतन की आवश्यकता है इसका मूल है कि व्यक्ति परिवार समाज देश विश्व सभी प्रकृति का भाग है प्रकृति मनुष्य के सुख उपयोग के लिए अनेक साधन प्रदान करती है अतः मानव व पर्यावरण के मध्य सुधार की प्रक्रिया में पर्यावरण प्रबंधक आवश्यक है जन आंदोलन व जनचेतना के फल स्वरुप 1763 में जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में विश्नोई समाज द्वारा ग्रामीण वासी महिला अमृता देवी के नेतृत्व में सर्वप्रथम खेजड़ी की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया उनके नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने बलिदान के परिणाम स्वरूप पेड़ काटना कानूनी जुर्म घोषित किया गया हत्या पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक नागरिक को जिज्ञासु जागरूक व उत्सुक होना पड़ेगा तभी प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास होने वाली वातावरण की छवि को रोक पाने में सफल होंगे।

पर्यावरण शिक्षा में जागरूकता पर स्थानीय संस्थाओं को गांव में जागरूकता अधिनियम चलाया जाना चाहिए वे उनकी चेतना में यह तथ्य स्थापित करना चाहिए कि एक पेड़ 50 वर्ष में 1500000 रुपए मूल्य का लाभ देता हैं।

बढ़ती ऊर्जा की मांग में ऊर्जा संकट :–

वर्तमान में उर्जा की अधिक खपत औद्योगिक प्रगति आर्थिक सामाजिक उत्थान जीवन यापन की गुणवत्ता व मानव कल्याण का मानदंड बनती जा रही है ऐसे में उर्जा की खपत निरंतर तेजी से बढ़ रही है और परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला खनिज तेल प्राकृतिक गैस का जिस त्रिवगति से दोहन हो रहा है इनके भंडार शीघ्र समाप्त होने के कगार पर है ऐसे माहौल में ऊर्जा संकट से निपटने तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में पंचायतें मेहंदी भूमिका का निर्वहां कर सकती है।

गांव में घरेलू ईंधन के लिए गोबर गैस से सयंत्रो का अधिकाधिक उपयोग के लिए पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को प्रेरित किया जाना चाहिए यह प्रयास इको फ्रेंडली भी है वह अपेक्षाकृत सस्ता भी है इसी संदर्भ में सौर ऊर्जा को सोर सग्रहोंको व रिसीवर ओ की सहायता से ताप ऊर्जा में बदल कर खाना पकाने पानी गर्म करने तथा ग्रामीण कुटीर उद्योग में प्रयोग में लिया जा सकता है वैद्य प्रयासों के साथ–साथ ग्रामीण स्थानीय निकायों को लघु स्तर पर भी प्रयास करने होंगे जैसे पारंपरिक बल्ब के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 4, April 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्थान पर सी एफ एल बल्ब के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करके ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित किया जा रहा है।

सामाजिक पर्यावरण एवं पंचायतें :–

प्राकृतिक पर्यावरण के साथ तेजी से दूषित होते सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण में भी पंचायतें अपनी भूमिका का निर्माण कर सकती है वर्तमान समय में लगभग सामाजिक समस्याओं का केंद्रीय बिंदु जनसंख्या वृद्धि व समाज में निरक्षरता है जिसके चलते गरीबी नशाखोरी कन्या भ्रूण हत्या अपराध जैसे व्याधिकिय सामाजिक तत्वों का जन्म हो रहा है।

पंचायतों को अपनी नियमित बैठकों में कम जनसंख्या के महत्व पुत्र के स्थान पर योग्य संतान अंधविश्वासों के स्थान पर तार्किकता के मूल्यों को अपनाने जैसे सूक्ष्म प्रयास एक सुंदर ग्रामीण सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकेंगे अपने इन प्रयासों की सफलता के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाना चाहिए ग्राम सभाओं में इन पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए तथा इन सामाजिक मूल्यों का अनुसरण करने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान योजना क्रिया विनीत की जानी चाहिए।

निष्कर्ष :–

देश में पंचायती राज संस्थाओं को जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था नवीन पंचायती राज व्यवस्था समाज के स्वर्गीय विकास की जिम्मेदारी के तहत पर्यावरण को स्वच्छ व प्रदूषण रहित व हरा भरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण रहा है पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए स्थानीय संस्थाओं द्वारा जल वन वन्य जीव भूमि संरक्षण हेतु नीति निर्धारक कर इन्हें स्थानीय जनता के सहयोग से ईमानदारी से लागू करना होगा भारत जैसे देश में पर्यावरण प्रबंधन के विकास में निश्चित रूप से स्थानीय संस्थाओं की भूमिका का विस्तार करने की आवश्यकता है इन संस्थाओं के माध्यम से न केवल पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निराकरण में भी काफी हद तक सहायता मिलने की संभावना है।

सत्त टिकाऊ सामाजिक व आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन व संरक्षण पीने के जल स्रोतों का स्वच्छ वृक्षारोपण व सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत 1 प्रबंधक के रूप में पर्यावरण की सुरक्षा में इससे संतुलित रूप प्रदान करने हेतु उचित प्रबंधन व जनभागीदारी की आवश्यकता है अतः वृद्धों युवा बाल को एवं महिलाओं सभी को पर्यावरण का ज्ञान करवाना वह इसे स्वस्थ बनाए रखने का सरकार व समाज दोनों का दायित्व है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाएं तो केवल नीति निर्माण मूल्यांकन पर्यवेक्षण का कार्य ही कर सकती है निष्पादन भूमिका वे जन सहभागिता हेतु स्थानीय संस्थाओं की भूमिका यही पर्यावरण संरक्षण में सुधार में कारगर साबित होगी।

आवश्यकता है इस कार्य को सफलतापूर्वक लागू एवं संचालित करने हेतु स्थानीय सहभागिता से चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर्मठता वे ईमानदारी से पंचायती राज व्यवस्था को आगे आकर कार्य करना होगा।

संदर्भ पुस्तकें :–

1. पी.एम नेगी– पारिस्थिकी एवं पर्यावरण भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ, 2010
2. आर.सी. गौड – बेसिक एनवायरमेंट इंजीनिरिंग, न्यू एस इन्टरनेशनल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2008
3. आप.पी. जोशी एवं रूपा मंगलानी – पंचायती राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर 1998।
4. रतन जोशी – पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशनस, आगरा 2014
5. दया दबे – वेदों में पर्यावरण, सुरभी पब्लिकेशन, जयपुर, 2000